

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**

**आदेश**

परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त निम्नवर्गीय एवं उच्चवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त लिपिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार संविदा के आधार पर निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को समकक्ष पदों पर नियोजन करने का निर्णय लिया गया है।


उक्त निर्णय के आलोक में उनके नाम के सामने कडिका-5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र०सं०	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम एवं पता	पद	सेवानिवृत्त कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	नया पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री रतन कुमार सिन्हा मुहल्ला-शिवधान (मधुबनी), उपडाकघर-पूर्णियाँ, जिला-पूर्णियाँ-854304	उ०व० लिपिक	अपर मुख्य चिकित्सा पदा०, पूर्णियाँ	जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ
2	श्रीमती दीपा रानी दे द्वारा-बी.के. गांगूली, लक्ष्मी नारायण नगर, बेला रोड नं०-4, पो०-आर.के. आश्रम, जिला- मुजफ्फरपुर-842002	उ०व० लिपिक	बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना
3	श्री ब्रह्मदेव मेहता ग्रा०+पो०-पामा, था०-सौरबजार, जिला-सहरसा	यात्री लिपिक	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना	जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा
4	श्री सुरेश कुमार सिन्हा मुहल्ला-अमंडा पोखर, बाकरगंज, पो०-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा-846001	उ०व० लिपिक	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा
5	श्री विनोद कुमार मुहल्ला-वसंत विहार, मुफसिल थाना, S.B.I. ATM के नजदीक, बेतिया-845438	नि०व० लिपिक	उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	जिला परिवहन कार्यालय, सिवान
6	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह ग्राम-बलहा, पो०-थर्मा, प्रखंड-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर-847107	उ०व० लिपिक	अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा।	जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी
7	श्री लषण प्रसाद हेड मानपुर जोरा मस्जिद (पंडित टोला), ग्रा०+था०- बुनियादगंज, जिला-गया-823003	लिपिक	क्षेत्रीय उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया।	जिला परिवहन कार्यालय, गया
8	श्री उमेश कुमार चक्रवर्ती ग्राम-द्वारिका विगहा, पो०-अमरोड़ा, था०-थरथरी, जिला-नालंदा	लिपिक	जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा	जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा

9	श्री देवेन्द्र प्रसाद मुहल्ला-न्यू सिपाही टोला, जिला-पूर्णियाँ-854301	पत्राचार लिपिक	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण, पूर्णियाँ।	जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ
10	श्री साहगीर्द मांझी ग्रा+पो0-तरवाड़ा, जिला-सिवान	लेखा लिपिक	अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ।	जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार
11	श्री शुकदेव प्रसाद ग्राम-शिवदह, पो0+भाया- तरवारा, जिला-सिवान-841506	नि0व0 लिपिक	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पटना।	जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली

1. संविदा पर नियुक्त सरकारी कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वहीं होगा परंतु पेंशन पर महँगाई भत्ता का भुगतान होता रहेगा। संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मियों को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।
2. संविदा पर नियुक्त कर्मियों को मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे0 बैंड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मियों की अधिकतम उम्र सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष मात्र तक ही होगी।
4. संविदा पर उपर्युक्त नियोजन मात्र दो वर्षों के लिए होगा। नियमित कर्मचारी की उपलब्धता होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. संविदा पर की गई नियुक्ति अधिकतम उम्र सीमा तक सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
6. उक्त सेवा निवृत्त कर्मियों के विरुद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना अथवा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकता है।
7. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रस्ताव में राज्य परिवहन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।


  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 05/स्था0-01-01/2018, परि0 1626

पटना, दिनांक :- 26/2/2020

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 05/स्था0-01-01/2018, परि0 1626

पटना, दिनांक :- 26/2/2020

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-05/स्था0-01-01/2018, परि0 1626

पटना, दिनांक :- 26/2/2020

प्रतिलिपि :- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-05/स्था0-01-01/2018, परि0 1626

पटना, दिनांक :- 26/2/2020

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-05/स्था0-01-01/2018, परि0 1626

पटना, दिनांक :- 26/2/2020

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-05/स्था0-01-01/2018, परि0 1626

पटना, दिनांक :- 26/2/2020

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।